

५१४
१८-१२-२०१८

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-४

देहरादून: दिनांक: १२ जनवरी, २०१८

विषय: जनपद-देहरादून के अंतर्गत बैराटखाई से यमुना ब्रिज (कुल दुरी-३२.० किमी०) (०.९६ हे०) तक ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु (लगभग ३५ पोल/किमी०) विंध्या टेलीलिंकस लि० (Vindhya Telelinks Limited) को वन संरक्षण अधिनियम, १९८० के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-२०२०/FP/UK/Others/29736/2017, दिनांक १८.१२.२०१७ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-देहरादून के अंतर्गत बैराटखाई से यमुना ब्रिज (कुल दुरी-३२.० किमी०) (०.९६ हे०) तक ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु (लगभग ३५ पोल/किमी०) विंध्या टेलीलिंकस लि० (Vindhya Telelinks Limited) को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ०न०-११-०९/९८-एफ०सी० दिनांक १६.१०.२०००, ०८.०४.२००९, शासनादेश संख्या एफ०न०-५-३/२००७-एफ०सी०, दिनांक ०५.०२.२००९ एवं एफ०न०-११-५६८/२०१४-एफ०सी०, दिनांक ०२.०२.२०१५ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/प्रदत्त प्राधिकार के तहत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

१. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
२. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या ५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस०बी०-२५२२९, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-११ भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-१, लोधी रोड, नई दिल्ली-११०००३ में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
३. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
४. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, २००६ के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
५. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

6. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
प्रभारी सचिव।

संख्या: 987(1)/X-4-17/1(143)/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, देहरादून।
6. Vindhya Telelinks Limited, Mohali, Chandigarh.
7. गार्ड फाईल।

स्वीवर्मा
क्रियाकार, 15/11

क्रियाकार/नोकर
15-1-2018

आज्ञा सी
(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।